(शान्ति धारीवाल)
मंत्री

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग,

शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2022-23

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2022–23

विधि विभाग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में एक महत्वपूर्ण विभाग है। विधि विभाग द्वारा राज्य के प्रयोजनार्थ विभिन्न विधिक मामलों में राय देने, विधायी प्रारूपण, विधि संहिताकरण, प्रचलित विधि के प्रकाशन की व्यवस्था संचालित की जाती है। लोक अदालत एवं विधिक सहायता संबंधित मामलो के सन्दर्भ में भी प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है। विधि विभाग, राज्य सरकार के समस्त विधिक कार्यों की देखभाल का दायित्व निर्वहन करता है।

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव है तथा विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव के अधीन शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (वादकरण), विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ठ शासन सचिव, (विधि रचना संगठन) एवं संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त शासन सचिव, विधि, एवं उप शासन सचिव कार्यरत है।

विधि विभाग, माननीय विधि मंत्री महोदय के निर्देशन में कार्य करता है। विधि एवं विधि कार्य विभाग राज्य के विधिक कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संवर्ग में कुल 697 पद एवं राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संवर्ग में कुल 35 पद है)।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ाचा

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव है तथा इनके नियंत्रणाधीन विधि विभाग के निम्नलिखित अनुभाग कार्यालय है जिनके अध्यक्ष निम्नानुसार हैः–

1. **विधि, (राजकीय वादकरण)**
   - i. शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी
   - ii. विशिष्ठ शासन सचिव, एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (वादकरण)

2. **विधि रचना संगठन**
   - i. विशिष्ठ शासन सचिव (विधि रचना संगठन) एवं संयुक्त विधि परामर्शी,
   - ii. उप सचिव एवं उप निर्देशक

19/11/2023

3. **विधि (ग्रुप–2) विभाग/विधायी प्रारूपण/संहिताकरण विभाग**

i. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी
ii उप सचिव (ग्रुप–2)
iii उप सचिव (वि.प्रा.–I)
iv उप सचिव (वि.प्रा.–II)
v उप सचिव (संहिताकरण विभाग)

4. **विधि (प्रारूपण) विभाग**

i. विशिष्ठ शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी
ii. संयुक्त विधि परामर्शी

5. **विशिष्ठ शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी**

6. **विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग–1)**

i संयुक्त शासन सचिव
ii उप शासन सचिव

विधि विभाग के अधीन अनुभागों द्वारा सम्पादित कार्यो एवं उपलब्धियों का विवरणः–

निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली/राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष राज्य की ओर से आपराधिक एवं सिविल मामलों में पैरवी हेतु महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकार्ड/पैनल लॉयर/वरिष्ठ अधिवक्ता/ राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता/ गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल/एडीशनल गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल/ डिप्टी गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल/असिस्टेंट गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल की नियुक्ति संबंधी कार्य।
2. जिला स्तर पर जिला एंव सैशन न्यायालयों, विशिष्ठ न्यायालयों, अपर जिला एवं सैशन न्यायालयों में आपराधिक सैशन प्रकरणों की पैरवी हेतु लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति, सेवा वृद्धि, सेवा मुक्ति, कार्यकुशलता, शिकायतों आदि से संबंधित कार्य।
3. निदेशालय राजकीय वादकरण, राजकीय अधिवक्ता जयपुर/जोधपुर एंव समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक एंव अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में

19/11/2023

मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदस्थापन/ स्थानान्तरण/ अनुशासनात्मक कार्यवाही/ वरिष्ठता/ पदोन्नति/ चयनित वेतनमान संबंधित कार्य।

4. जिला न्यायाधीश एवं अन्य समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से सिविल मामलों की पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति, सेवा वृद्धि, सेवा मुक्ति, कार्यकुशलता, शिकायतों आदि से संबंधित कार्य।
5. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता जयपुर/ जोधपुर एंव समस्त जिलों के लोक अभियोजक/ विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एंव उनके कार्यालयो के मंत्रालयिक कर्मचारियों के चिकित्सा/ यात्रा/ वेतन/ फीस/ कार्यालय व्यय हेतु बजट आवंटन संबंधित कार्य।
6. विधि विभाग द्वारा नियुक्त/नियंत्रित अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं उनके कार्यालयों में पदस्थापित मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा दायर न्यायिक प्रकरणों में राज्य पक्ष की ओर से बचाव संबंधित कार्य।
7. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता जयपुर/ जोधपुर एवं समस्त जिलों के लोक अभियोजक/विशिष्ठ लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एंव उनके कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन/चिकित्सा/ यात्रा/फीस/कार्यालय व्यय हेतु बी.एफ.सी./ अंक मिलान संबंधी कार्य।
8. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य की ओर से नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड का वेतन एंव पैनल लॉयर/ वरिष्ठ अधिवक्ता को फीस का भुगतान एंव उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ में नियुक्त महाधिवक्ता, अति0 महाधिवक्ता को देय विशेष फीस बिलों का भुगतान संबंधी कार्य।
9. सचिवालय स्थित वादकरण निदेशालय में पदस्थापित विधि अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/यात्रा/चिकित्सा व्यय बिलों का भुगतान एवं वेतन नियतन संबंधी कार्य।
10. सूचना के अधिकार के तहत विधि वादकरण से संबंधित मांगी गई जानकारियों से संबंधित कार्य।
11. विधि वादकरण से संबंधित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर का कार्य।

विधि (प्रकोष्ठ–4) विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर द्वारा निर्णित आपराधिक प्रकरणों के विरूद्ध अपील/नो अपील का विनिश्चय
2. माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर आपराधिक प्रकरणों में पैनल लॉयर/ एडवोकेट ऑन रिकार्ड की नियुक्ति

14/11/2023

3. माननीय उच्चतम न्यायालय में नियुक्त पैनल लॉयर/ वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रेषित फीस बिलों का भुगतान
4. आपराधिक प्रकरणों से संबंधित विविध कार्य

विधि (प्रकोष्ठ–4) वादकरण, विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

राजस्थान के सभी जिलों में स्थित सैशन/अपर सैशन न्यायालयों/ विशिष्ठ न्यायालयों–एन.डी.पी.एस./एस.सी.एस.टी./ए.सी.डी./महिला उत्पीडन/जाली नोट/प्रिन्टिंग स्टेशनरी/ डकैती प्रभावी क्षेत्र/साम्प्रदायिक दंगे/डेजिग्नेटेड कोर्ट द्वारा दिये गये सभी निर्णयों एंव मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा जमानती/संज्ञेय आपराधिक प्रकरणों में दिये गये निर्णयों के विरूद्ध अपील दायर करने/नहीं करने के क्रम में निर्णयों का परीक्षण संबंधी कार्य।

विधि (प्रकोष्ठ–5) रिट शाखा के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता की सामान्य फीस पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के पारित निर्णयों के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की ओर से एस.एल.पी. पेश करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड/ पैनल लॉयर की नियुक्ति संबंधी कार्य।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में अवमानना मामलों में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी कार्य।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में रिव्यु याचिकायें/ क्यूरेटिव याचिकायें आदि पेश करने संबंधी कार्य।
5. राज्य के बाहर उच्च न्यायालयों में राजस्थान राज्य के मामलों में अपील/नो अपील करने संबंधी कार्य ।
6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता की विशेष फीस पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में निजी अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता की उनकी सेवा शर्तों पर नियुक्ति संबंधी कार्य।

19/1/2023

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता की उनकी सेवा शर्तों पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
9. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता के विशेष फीस बिलों के निस्तारण संबंधी कार्य।
10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता/निजी अधिवक्ता के फीस बिलों के निस्तारण संबंधी कार्य।
11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित नोटिसों को आवश्यक प्रतिरक्षण हेतु प्रशासनिक विभागों को भिजवाने संबंधी कार्य।
12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के विरूद्ध एस.एल.पी./रिट पिटिशन एंव अवमानना मामलों में अतिरिक्त महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकार्ड/ पैनल लॉयर की नियुक्ति संबंधी कार्य।
13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में अन्य राज्य के मामलों में अधिवक्ता (महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता आदि) नियुक्ति फीस आदि एंव अन्य राज्य में राजस्थान राज्य के मामलों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति/फीस आदि संबंधी कार्य।
14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के पैनल पर नियुक्त अधिवक्तागण (अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड/पैनल लॉयर/वरिष्ठ अधिवक्ता) के फीस बिलों के निस्तारण संबंधी कार्य तथा अन्य विविध कार्य।

निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग की उपलब्धियां:–

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में 01 अतिरिक्त महाधिवक्ता का नवीन पद, माननीय उच्चतम न्यायालय में 01 अतिरिक्त महाधिवक्ता का नवीन पद एवं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में 01 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता का नवीन पद सृजित किया गया।
2. 06 अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक एवं 04 विशिष्ठ लोक अभियोजक के नवीन पद सृजित किये गये।

14/11/2023

3. 02 संस्थापन अधिकारी, 07 प्रशासनिक अधिकारी, 23 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, 35 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 61 वरिष्ठ सहायक के पदों पर कार्मिकों को पदोन्त किया गया।
4. इस विभाग व इस विभाग के अधीन विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में 101 शीघ्रलिपिक के पदों पर नवनियुक्तियां प्रदान की गई एवं 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अनुकम्पात्मक) को नियुक्ति प्रदान की गई।
5. कनिष्ठ सहायक के 96, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 65, शीघ्रलिपिक के 04 एवं सूचना सहायक के 02 नवीन पद सृजित किये गये।

विधि (विधायी प्रारूपण) (ग्रुप–2) विभाग द्वारा सम्पादित कार्य/उपलब्धियों का विवरणः–

विधि विभाग की इस शाखा में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मंत्रिमण्डल आज्ञा सहित प्राप्त विधेयक सत्र के दौरान विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने हेतु विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किये जाते हैं। विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को यथा स्थिति माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति के लिए प्रेषित किया जाता है एवं अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियम के रूप में केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है।

विधान सभा का सत्र चालू नहीं होने के दौरान प्रख्यापन के लिए प्राप्त अध्यादेश माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किये जाते हैं तथा प्रख्यापन के पश्चात् उनको राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है।

विधि(ग्रुप–2)विभाग के कार्य का सार–संक्षेप (Executive summary)

- विधि (ग्रुप–2) विभाग में विधान सभा संबंधी अत्यावश्यक शासकीय, विधायी कार्य यथा विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्यादेशों को तैयार करने एवं उनके प्रख्यापन उपरान्त अध्यादेशों की अधिसूचनाओं के राजपत्र में प्रकाशन कराने तथा विधान सभा सत्र के दौरान प्रतिस्थापक एवं नवीन विधेयकों को तैयार करने, उनका मिलान करने, प्रूफ पढ़ने, संशोधन करने तथा अंतिम रूप से तैयार विधेयकों को विधान सभा में पुरःस्थापन हेतु भिजवाने और विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को अन्तिम रूप देते हुए अधिनियम के रूप में राजपत्र में प्रकाशित कराने संबंधी विधायी कार्यों का सम्पादन किया जाता है। उक्त कार्यों का समयबद्ध एवं त्वरित रूप से निस्तारण किया जाना अनिवार्य होता है।

वर्ष 2022 में विधान सभा सचिवालय को पुरःस्थापित कराये जाने हेतु प्रेषित 21 विधेयकों में से 01 विधेयक प्रशासनिक विभाग द्वारा वापस लिया गया एवं 01 विधेयक प्रवर समिति को प्रेषित किया गया तथा 19 विधेयकों को विधायिका द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त इनमें से 13 विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया। साथ ही

19/11/2023

2021 में पारित 01 विधेयक एवं वर्ष 2020 में प्रेषित एवं 2022 में पुनः पारित 01 विधेयक को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया। 01 विधेयक महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु गृह मन्त्रालय, भारत सरकार को भिजवाया गया है। वर्ष 2018 में पारित 01 विधेयक, 2020 में पारित 01 विधेयक, 2021 में पारित 01 विधेयक एवं वर्ष 2022 में पारित 01 विधेयक को राजस्थान विधान सभा को पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है। साथ ही वर्ष 2022 में पारित 03 विधेयक माननीय राज्यपाल महोदय के संदेश के साथ राजस्थान विधान सभा को पुनर्विचार हेतु लौटाये जाने की प्रक्रिया में हैं। 01 विधेयक माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति हेतु लम्बित है। विधेयकों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

LIST OF ACTS, 2022

S. No.	Act No.	Title of Act
1.	1/2022	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालयों की वेधियां (संशोधन) अधिनियम, 2020
2.	2/2022	राजस्थान विनियोग (सं. 1) अधिनियम, 2022
3.	3/2022	राजस्थान विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2022
4.	4/2022	राजस्थान वित्त अधिनियम, 2022
5.	5/2022	राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) (संशोधन) अधिनियम, 2022
6.	6/2022	राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022
7.	7/2022	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) अधिनियम, 2022
8.	8/2022	राजस्थान राज्य अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति विकास निधि (योजना, आवंटन और वित्तीय संसाधनों का उपयोग) अधिनियम, 2022
9.	9/2022	राजस्थान भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022
10.	10/2022	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2022
11.	11/2022	राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022
12.	12/2022	राजस्थान विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2022
13.	13/2022	राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2020
14.	14/2022	राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022
15.	15/2022	राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2022

List of Bills as passed by Assembly & sent to Hon'ble Governor for the Assent and reserved for the Assent of Hon'ble the President

S. No.	Bill No.	Title of Bills
1.	1/2022	दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2022

19/1/2023

List of Bill reserved for Select Committee

S. No.	Bill No.	Title of Bill
1.	21/2022	राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022

List of Bill Withdrawn by A.D.

S. No.	Bill No.	Title of Bill
1.	8/2022	गुरूकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022

List of Bills as passed by Assembly & sent to Hon'ble Governor for the Assent

S. No.	Bill No.	Title of Bills
1.	1/2022	कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2022

List of Returned Bills by Hon'ble Governor sent to Assembly With message

S.No.	Bill No.	Title of Bills
1.	41/2017	राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 2017
2.	08/2020	राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
3.	13/2022	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022
4.	10/2018	दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018

List of Returned Bills by Hon'ble Governor to be sent to Assembly With message

S. No.	Bill No.	Title of Bills
1.	2/2022	व्यास विद्या पीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022
2.	14/2022	सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022
3.	15/2022	ड्यूक्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022

19/11/2022

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 की क्रियान्विति से संबंधित उपलब्धि:

प्रदेश में सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे, के लिए प्रदेश में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत् राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व इसके अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक साक्षरता, लोक अदालत, मीडियेशन, पैरालीगल क्लीनिक एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निर्देशित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में संस्थापित ढ़ांचा निम्नानुसार है :–

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण – राज्य स्तर पर
2. राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति – 02 (जयपुर एवं जोधपुर) –उच्च न्यायालय स्तर पर
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण – 36 – जिला न्यायालय मुख्यालय स्तर पर
4. तालुका विधिक सेवा समिति – 181 – अधीनस्थ न्यायालय मुख्यालय तालुका स्तर पर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम एवं विनियम में प्राविधित प्रावधानों के तहत एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय से तालुका स्तर पर निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक साक्षरता, लोक अदालत, मीडियेशन, पैरालीगल क्लीनिक एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निर्देशित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, विधिक जागरूकता, मीडियेशन, लोक अदालत इत्यादि कार्यक्रमों की उपलब्धियों का वर्षवार विवरण:–

विधिक सलाह एवं सहायता

विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जरूरतमन्द व्यक्तियों को विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय, जिला एवं तालुका स्तर पर शिक्षित पैनल अधिवक्तागण एवं रिटेनर अधिवक्तागण का चयन किया गया। जिनके माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की जाती है।

19/1/2023

वर्ष 2022–23 के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में प्रदेश में आयोजित विधिक सेवा कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का विवरण :–

1 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान **10,712** व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की गई है।

2 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अन्तर्गत **1,671** पीडितों को **31,76,67,000/–** का प्रतिकर पारित हुआ है।

3 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान **1,12,463** विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुये है, जिनमें **54,10,456** व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं।

4 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अधिनियम की धारा 19 के तहत कन्वेन्सियल लोक अदालत में **1,678** प्रकरण निस्तारित हुए एवं एम.ए.सी.टी. प्रकरणों में **7,75,19,609/–** रूपये का अवॉर्ड पारित हुआ है।

5 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में **45,72,315** प्रकरण निस्तारित हुये एवं **30,62,08,10,182/–** रूपये का अवॉर्ड पारित हुआ।

6 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान अधिनियम की धारा 22बी के तहत जिला स्तर पर संस्थापित स्थाई लोक अदालत नें जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित **4,707** प्रकरण निस्तारित हुए, जिनमें **36,11,93,596/–** रू. सेटलमेन्ट राशि पारित हुई।

7 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान वैकल्पिक विवाद निस्तारण "मध्यस्थता" केन्द्रों के माध्यम से **463** प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

8 वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्रदेश में राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों में **6205** विधिक साक्षरता क्लब खोले गये।

9 प्रदेश में पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर **332** विधिक सेवा क्लिनिक संस्थापित किये गये जो One Stop Centre के रूप में कार्य करते हुए विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होगें। ये सीधे तौर पर राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित महिला सहायता समूह से कनेक्ट होगें।

19/1/2023

10 प्रदेश में जे.जे.बी./सी.डब्लयू.सी./पोक्सो में पीडितों व बच्चों की सहायता के लिए अद्यतन दिनांक 31.12.2022 तक विशेष तौर पर **66** पैनल अधिवक्तागण को प्रशिक्षित किया गया और बच्चों चाहे पीड़ित हो या विधि से संघर्षरत बालक, उनकी पैरवी के लिए नियुक्त किया गया।

11 प्रदेश में पीड़ित बच्चों/किशोर की सहायता के लिए **110** पी.एल.वी. को बाल सहायक के लिए विशेष तौर से प्रशिक्षित किया गया जो सपोर्ट पर्सन की भूमिका निभा रहे है।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग–1) की सम्पादित कार्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैः–

सम्पादित कार्यः–

1. विधि एवं विधिक कार्य (अनुभाग–1) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से विभिन्न स्तर के नवीन न्यायालयों की स्थापना, विशेष न्यायालयों की स्थापना, कैम्प कोर्टों की स्थापना, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन प्रदान करने का कार्य।
2. राजस्थान न्यायिक सेवा के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति संबंधी कार्य।
3. विधि (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) के पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति एवं पदस्थापन संबंधी कार्य।
4. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का संस्थापन संबंधी कार्य।
5. माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों हेतु बजट आवंटन संबंधी कार्य।
6. माननीय न्यायाधिपतिगण के राजकीय बंगलों में परिवर्तन, परिवर्धन संबंधी कार्य।
7. राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन संबंधी कार्य।
8. नोटरी पब्लिक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राधिकार प्रमाण–पत्र जारी करने तथा नवीनीकरण संबंधी कार्य।
9. विधि विभाग से संबंधी विधान सभा प्रश्नों ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख प्रस्तावों संबंधी कार्य।

19/1/2023

उपलब्धियां निम्नानुसार है:–

1. 03 अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले गये।
2. 04 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले गये।
3. 15 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले गये।
4. 01 विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले गये।
5. 03 पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई।
6. 04 पोक्सो न्यायालयों की स्थापना की गई।
7. 06 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में क्रमोन्नत किया गया।
8. 01 एडीजे कैम्प कोर्ट को स्थाई अपर जिला एवं सेंशन न्यायालय में परिवर्तित किया गया।
9. 05 पालयट स्टडी विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय के तहत् खोले गये।
10. माननीय सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश अनुसार राजस्थान के समस्त न्यायिक अधिकारियों को (एसएनजेपीसी) 7वें वेतन आयोग की स्वीकृति जारी की गई।
11. राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत विधि रचना अधिकारी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 4 चयनित अभ्यर्थियों में से दिनांक 02.08.2022 को 2 एवं दिनांक 23.08.2022 को 2 पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई।
12. राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के रिक्त पद पर पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई, जिसमें 1 वरिष्ठ विधि अधिकारी को सहायक विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।
13. राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के रिक्त पद पर पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई, जिसमें 1 सहायक विधि परामर्शी को उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।
14. राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के रिक्त पद पर पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.08.2021 एवं 25.08.2022 को आयोजित की गई, जिसमें क्रमशः 1 सहायक विधि

19/1/2023

15. राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत राजस्थान विधि सेवा के कार्मिकों की वर्ष 2022–23 के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई, जिसमें 5 संयुक्त विधि परामर्शी को वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, 7 उप विधि परामर्शी को संयुक्त विधि परामर्शी, 10 सहायक विधि परामर्शी को उप विधि परामर्शी एवं 9 कनिष्ठ विधि अधिकारी को वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।
16. वर्ष 2022 में वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के 7 नये पद व संयुक्त विधि परामर्शी के 2 नये पद सृजित/क्रमोन्नत किए गए है।
17. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2022 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित श्री राजेश कुमार सिंघल को विधि सहायक प्रतियोगी परीक्षा 2008 के अन्तर्गत कनिष्ठ अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
18. राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत राजस्थान विधि रचना सेवा के कार्मिकों की वर्ष 2022–23 के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई, जिसमें 3 वरिष्ठ विधि रचनाकार को विधि रचना अधिकारी एवं 4 विधि रचनाकार को वरिष्ठ विधि रचनाकार के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।
19. राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 के रिक्त पद पर पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को आयोजित की गई, जिसमें 1 विधि रचनाकार को वरिष्ठ विधि रचनाकार के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।
20. राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1981 के अन्तर्गत कनिष्ठ अधिकारी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 150 चयनित अभ्यर्थियों में से, 02.08.2022 को 1, दिनांक 14.02.2022 को 1 पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
21. नोटेरी पब्लिक के 88 प्राधिकार प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण गया।
22. नोटेरी पब्लिक के 212 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई।
23. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में 22 शीघ्रलिपिकों की नियुक्ति प्रदान की गई।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग–1) वर्ष 2022–23 में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया:–

1. जिला न्यायालय परिसर, श्रीगंगानगर में सचालित पोक्सो कोर्ट में 02 कमरों एवं अन्य कार्यो हेतु रू 28.45 लाख की स्वीकृति दिनांक 04.05.2022 को जारी की गई।
2. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,घांटोल जिला बांसवाडा में न्यायालय भवन/आवास के लिए आंवटित भूमि की चारदीवारी मय मुख्य द्वारा

19/11/2022

पर काउ केचर के निर्माण हेतु रू 20.44 लाख की स्वीकृति दिनांक 04.05.2022 को जारी की गई।

3. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनवा के न्यायालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत रू. 256.00 लाख राशि सीमा की बचत राशि में से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डोली के लिए टेम्पररी कोर्ट रूम एवं आदि निर्माण कार्य हेतु रू. 02.50 लाख की स्वीकृति दिनांक 09.06.2022 को जारी की गई।
4. जयपुर महानगर न्यायालय परिसर में सात मंजिला भवन निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति राशि में से 02 हाई स्पीड लिफ्ट की स्थापना हेतु राशि रू 185.32 लाख की स्वीकृति दिनांक 10.06.2022 को जारी गई।
5. ACJM कोर्ट, अरनोद जिला प्रतापगढ में न्यायालय भवन निर्माण हेतु रू 300.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 21.06.2022 को जारी की गई।
6. पाली मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारियों के आवास एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु रू 69.73 लाख की स्वीकृति दिनांक 30.08.2022 को जारी की गई।
7. बांसवाडा मुख्यालय पर निर्माण कोर्ट कॉम्पलेक्स परिसर में अलग से महिला एवं पुरूष लॉकरूम का निर्माण कार्य हेतु रू 19.89 लाख की स्वीकृति दिनांक 14.09. 2022 को जारी की गई।
8. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौहाटन हेतु भवन निर्मित के प्रथम तल पर नवसृजित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के संचालन हेतु पीठासीन अधिकारी के चैम्बर निर्माण आदि कार्य हेतु रू 38.56 लाख की स्वीकृति दिनांक 14.09.2022 को जारी की गई।
9. नवसृजित न्यायालय ए.सी.जे.एम. श्रीमाधोपुर के भवन निर्माण हेतु रू 195.50 लाख की स्वीकृति दिनांक 20.09.2022 को जारी की गई।
10. नवसृजित न्यायालय ए.सी.जे.एम. श्रीमाधोपुर के पीठासीन अधिकारी के द्वितीय श्रेणी के आवास निर्माण हेतु रू 60.10 लाख की स्वीकृति दिनांक 20.09.2022 को जारी की गई।
11. अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या–2 के पीठासीन अधिकारी के राजकीय आवास के निर्माण हेतु रू 69.91 लाख की स्वीकृति दिनांक 21.09.2022 को जारी की गई।
12. CSS योजना Development Of Infrastructure For The Judiciary के अंतर्गत SNA Bank Account में रू 7943.33 लाख की राशि को हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति दिनांक 09.12.2022 को जारी की गई।

19/1/2023

13. CSS योजना Development Of Infrastructure For The Judiciary के अंतर्गत श्रीगंगानगर कोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु रू 2000.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 13.01.2023 को जारी की गई।
14. CSS योजना Development Of Infrastructure For The Judiciary के अंतर्गत अलवर कोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु रू 2000.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 13.01.2023 को जारी की गई।

19/1/2023

प्रमुख शासन सचिव
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर